Telephone : 0120-3174178
E-mail : admin@nsgsassociety.com
Website : www.nsgsassociety.com

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड
पंजीकृत सं. 2213/1996
प्लॉट नंबर 2, पॉकेट-6, बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) - 201310

N.S.G. SAHKARI AVAS SAMITI LIMITED

REGISTERED NO. 2213/1996
Plot No. 2, Pocket-6, Builder's Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) - 201310

संदर्भ संख्या
Ref. No NSG SAS/Updates/Activities/22-23

दिनांक
Dated 08.10.2022

All Members/Concerned Officials

RESPONSE OF NSG SAS LTD REGARDING ITS ACTIVITIES AS DESIRED BY UP AVAS EVAM VIKASH PARISHAD (SAHKARITA ANUBHAG), LUCKNOW ON PRESCRIBED PROFORMA.

UP Avas Evam Vikash Parishad (Sahkarita Anubhag), Lucknow vide its Letter No.3229/Sah./ dated 28.09.2022 (copy enclosed) has asked to submit details of activities of NSG SAS LTD on prescribed proforma.

2. Accordingly, NSG SAS LTD has submitted required information vide reply dated 01.10.2022. Copy enclosed for information of all concerned.

08/10

Encls:-As above.

(P.M. Thakur)
Secretary

Telephone : 0120-3174178
E-mail : admin@nsgsassociety.com
Website : www.nsgsassociety.com

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड

पंजीकृत सं. 2213/1996

प्लॉट नंबर 2, पॉकेट-6, बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) - 201310

N.S.G. SAHKARI AVAS SAMITI LIMITED

REGISTERED NO. 2213/1996

Plot No. 2, Pocket-6, Builder's Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) - 201310

पत्र संख्या
No NSG SAS/.Audit/.2022-23

दिनांक
Dated 01.10.2022

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त एवं अपर निबंधक,
उतर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
सहकारिता अनुभाग,
104, महात्मा गांधी मार्ग,
लखनउ–226001 ।

सकिय सहकारी आवास समितियों के किया–कलापों के संबंध में ।

महोदय,

कृप्या अपने कार्यालय के पत्रांक सं0 3229/सह0/ दिनांक 28.9.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसकी प्रतिलिपि समिति को सहकारी अधिकारी (आवास), गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 01.10.2022 को व्हाटस अप पर भेजे गए मैसेज द्वारा प्राप्त हुआ ।

2. एनएसजी सहकारी आवास लिमिटेड ने अभी हाल ही में अपने पत्र सं0 एनएसजी एसएएस/आडिट/2022–23 दिनांक 24.9.2022 जो ड़ाक द्वारा एवं व्हाटस अप मैसेज द्वारा भी प्रेषित किया गया है, जिसमे यह सूचित किया था कि एनएसजी सहकारी आवास लिमिटेड, गौतम बुद्व नगर के विगत चार वित वर्षो का (2017–18, 2018–19, 2019–2020 एव 2020–2021) लेखा परीक्षण नहीं हो पाया है क्योंकि समिति के पास विगत वर्षो का लेखा–जोखा उपलब्ध नहीं है । लेखा परीक्षण नहीं हो पाने के कारण इन विगत चार वर्षो में कोई एजीएम नहीं करवाई गई । उपरोक्त कारणों से इस वर्ष 2021–2022 का एजीएम भी नहीं हो पाएगा । समिति एक सामान्य वार्षिक बैठक(GBM) दिनांक 16.10.2022 को करवाने का उपकम कर रही है जिसकी सूचना 29.9.2022 के पत्र द्वारा आपके कार्यालय को एवं सहकारी अधिकारी, गाजियाबाद को भेजा जा चुका है ।

एन.एस.जी. सहकारी आवास ... पंजीकरण सं. 2213/1996

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए एनएसजी सहकारी आवास समिति द्वारा, आपके पत्रांक दिनांक 28.9.2022 द्वारा मांगी गई सूचनाओं का विवरण निर्दिष्ट प्रारूप पर नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है :–

क्र स	समिति का नाम	गत निर्वाचन की तिथि	गत एजीएम की तिथि कार्यवाही सहित	विवाद (यदि कोई हो)
1	एनएसजी सहकारी आवास समिति लिमिटेड	निर्वाचन का प्रथम चरण दिनांक 5.4.2018 –इसमें सिर्फ चार सदस्यों का निर्वाचन हुआ । अपर आवास आयुक्त/अपर निबंधक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का पत्रांक सं0 109/सह0/ दिनांक 9.4.2018 की प्रतिलिपि संलग्न । निर्वाचन का द्वितिय चरण दिनांक 22.11.2019 –इसमें शेष सदस्यों के निर्वाचन के उपरांत चार और सदस्य निर्वाचित हुए एवं समिति का प्रबंध कमेटी गठित हुआ । निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी परिणाम पत्रांक 80/निर्वाचन –प्रबंध कमेटी दिनांक 22.11.2019 की प्रतिलिपि संलग्न ।	गत एजीएम की तिथि : 09.12.2017 है । एजीएम की कार्यवाही की प्रतिलिपि जो समिति के नोटिस सं0 183 पत्रांक एनएसजी एसएएस/124 दिनांक 26.2.2018 द्वारा जारी की गई, संलग्न है । लेखा परिक्षण वितिय वर्ष 2016–17 जो दिनांक 25.05.2017 की तिथि के अनुसार बनाया गया एवं दिनांक 1.11.2017 को परीक्षण संपन्न हुआ, प्रतिलिपि एजीएम की कार्यवाही पत्र के साथ ही संलग्न है ।	निर्वाचन के प्रथम चरण में सिर्फ चार सदस्यों के निर्वाचन होने के कारण उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने प्रशासक नियुक्त किया । समिति के सचिव को भी निर्वाचन के द्वितिय चरण के पूर्व दिनांक 30.4.2018 को बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया । प्रशासक ने दूसरे राज्य सरकार के प्रशासन शाखा से एक निम्न श्रेणी लिपिक को उठाकर उतर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बनी एनएसजी समिति का सचिव नियुक्त कर दिया । इसके साथ ही एक प्राईवेट प्रोर्पटी डिलर जो इस एरिया में प्लाट खरीदने बेचने का कार्य करता था, उसे एनएसजी समिति का सहायक सचिव नियुक्त कर दिया । प्रशासक मंडल ने समिति का निर्वाचन जल्दी नहीं करवाकर, नवम्बर 2019 तक (लगभग 19 माह तक समिति का

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति रजिस्ट्रेशन नं. 2213/1993

				प्रशासन मनमाने ढंग से किया) । और बहुत सारे प्लाटों को बेच दिया एवं पूर्व में जीपीए पर बिके हुए प्लाटों को नियमित करते हुए नए सदस्य बनाए एवं उनको शेयर सर्टिफिकेट भी जारी किया । नई प्रबंध कमेटी के गठन के उपरांत भी उन्होंने समिति का कार्यालय एवं रिकार्डस का हस्तांरण नही किया जिसके कारण एफआईआर स0 0422 दिनांक 08.08.2020 को दर्ज किया गया।

(P M Thakur)
Secy, COM
NSG SAS LTD
01/10/2022

(पी0एम0 ठाकुर)
सचिव

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :–

श्री अरिमर्दन सिंह गौड़,
सहकारी अधिकारी आवास,
उतर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर 16ए,
वसुंधरा गाजियाबाद–201012

रजि0 नं0 2213/.99

IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(सहकारिता अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ–226001

IS 1570

SQMS

पत्र सं०- 3229 /सह०/ दिनांक- 29-9-2022

समस्त सहकारी अधिकारी (आवास)/
सहकारी पर्यवेक्षक (आवास)।

प्रदेश स्थित समस्त सक्रिय सहकारी आवास समितियों के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में आवास आयुक्त/निबन्धक (म०) द्वारा दिनांक 03.10.2022 को समीक्षा बैठक आहूत की गयी है। आवास आयुक्त (म०) द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर सूचनायें प्रस्तुत किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है:-

क्रम सं०	समिति का नाम	गत निर्वाचन की तिथि	गत ए०जी०एम० की तिथि कार्यवाही सहित	विवाद (यदि कोई हो)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें ए०जी०एम० की कार्यवाही सहित दिनांक 30.09.2022 तक प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य है।

(विनय कुमार मिश्र)
अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक

पृ०सं०- /सह०/ दिनांक-

प्रतिलिपिः-1.समस्त पटल प्रभारी, सहकारिता, अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल से सम्वन्धित सूचनायें प्राप्त कर सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2.सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 30.09.2022 तक प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक

गाजियाबाद-707